पंचदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.12.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राजेश्वर राज, स०वि०स० श्रीमती नीता चौधरी, स०वि०स० श्रीमती उषा सिन्हा, स०वि०स० श्रीमती मीना द्विवेदी, स०वि०स०	"कैमूर जिला के भगवानपुर थानान्तर्गत अवसान ग्राम में दिनांक-12.12.2014 को पटवन को लेकर हुई विवाद में श्री ललिता यादव एवं श्री हरिवंश कुशवाहा की हत्या हो गई । घटनोपरान्त औरंगाबाद में ए०एस०पी० अभियान के रूप में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी श्री मनोज यादव द्वारा ग्राम-अवसान जाकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया । इनके उकसाने पर उग्रवादी तत्वों द्वारा स्व० हरिवंश कुशवाहा के घर में आग लगा दी गई तथा इन्हीं के इशारे पर स्व० हरिवंश कुशवाहा के पुत्र श्री हरि नारायण कुशवाहा तथा पत्नी श्रीमती रमावती देवी को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । साथ ही पुलिस पदाधिकारी द्वारा स्व० कुशवाहा के पोता शैलेश कुमार तथा पोती रेखा कुमारी को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाया गया, जिसका अबतक कोई अता-पता नहीं है । वे दोनों बच्चे अभी तक लापता है । इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है । उक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध कार्य किया है । अतएव घटना की उच्चस्तरीय जांच, उक्त पुलिस पदाधिकारी के गैर-कानूनी एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने के विरूद्ध कार्रवाई तथा दोनों गुमशुदा बच्चों का पता करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	गृह (आरक्षी)

1	2	3	4
7.	श्री रणविजय कुमार, स०वि०स० श्री गजानन्द शाही, स०वि०स० श्री अभिराम शर्मा, स०वि०स०	"पूरे बिहार राज्य में नक्सल गतिविधि पूरे तेजी से फैल रहा है । कुछ जनप्रतिनिधियों को भी नक्सलियों ने लक्षित किया है । जनप्रतिनिधियों को तय कार्यक्रम के अनुसार आना-जाना ही पड़ता है । ऐसी स्थिति में पिस्टल एवं कारबाईन से नक्सलियों से सुरक्षा संभव नहीं है । अतः वर्त्तमान परिवेश में नियमों में संशोधन करके ए.के.-47 के अंगरक्षक एवं खतरे की समीक्षा करके विधायकों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	गृह (आरक्षी)

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/14- 1929 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा गृह (आरक्षी) विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

नियाज
22.12.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/14- 1929 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

नियाज
22.12.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।